जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना अफजलगढ दिनॉक 25.08.2023

**थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 295/23 धारा 380/457/411 भादवि के 01 वांछित अभियुक्त को चोरी गये सामान सहित किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08–08–2023 को वादी श्री भोजराज सिंह पुत्र देववृत सिंह निवासी ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि उसके घर से चाहत उर्फ कालू पुत्र खडक सिंह निवासी ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर रात्रि में ट्रैक्टर का बैट्रा, दो पानी की मोटर, दो बंडल केवल, लोहे की पुली आदि चोरी किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 295/23 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही :–

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में चोरी की रोकथाम व चोरी में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व चोरी गये माल की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.08.2023 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 295/23 धारा 380/457/411 भादवि के वांछित अभियुक्त ललित पुत्र रामकिशन नि0 ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये सामान से एक लोहे की पुली बरामद की गई। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट– दिनांक 09.08.2023 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त चाहत उर्फ कालू पुत्र उमेश कुमार नि0 ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में चोरी गया एक बैटरा, एक टिल्लू पम्प, एक लोहे की पूली, एक छः इंची प्लास्टिक का पानी का पाइप व नाल लम्बाई करीब 42 फुट बरामद की जा चुकी है।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. ललित पुत्र रामकिशन नि0 ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

## बरामदगी का विवरण–

01 लोहे की पुली

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री सोहन सिंह पुण्डीर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2–हे0का0 60 राकेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3–का0 1815 आकाश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

# थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

## कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.08.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सईद उर्फ बाबा पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम विसनोईवाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता–

1–सईद उर्फ बाबा पुत्र अ0 सलाम नि0 ग्राम विसनोईवाला को0देहात बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2– का0 2205 मोनू वर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

## थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

**कार्यवाही:-**

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिंनाक 25.08.2023 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शर्मेंद्र पुत्र हरपाल निवासी ग्राम जलीलपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 606/23 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शर्मेंद्र पुत्र हरपाल निवासी ग्राम जलीलपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1-हे0 कां0 705 सुरेंद्र चौहान, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2-कां0 969 सचिन कुमार, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर